

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2165
22 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के वेतन और भत्ते

2165. श्रीमती झरना दास बैद्य:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा भविष्य में इस बाबत कोई ठोस कदम उठाया जाएगा; और
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के वेतन और भत्तों में कितनी बार वृद्धि की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): आशाकर्मियों की परिकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में की गई है और वे केवल कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहन के पात्र हैं। आशाकर्मियों को नियमित और आवर्ती कार्यकलाप के लिए प्रति माह 2000 रुपए का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है और इसका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में आशाकर्मियों को कई प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की छूट भी दी गई है, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

कार्यशील आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के प्रचालनरत होने के साथ आयुष्मान भारत योजना के प्रारंभ के बाद, आशा कर्मी अब मॉनीटर किए गए कार्यनिष्पादन संकेतकों के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए भी पात्र हैं (प्रति माह 1000 रुपए तक)।

सरकार ने कम से कम 10 वर्षों तक आशा के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाकर्मियों को उनके योगदान के मानदेय के रूप में 20,000/- रुपए के नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र को भी मंजूरी दी है।

आशाकर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए आशाकर्मी हित लाभ पैकेज भी शुरू किया गया था। इस पैकेज में निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:

- I. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रु. का लाभ (भारत सरकार द्वारा 330 रु. के वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)
- II. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के लिए 2.00 लाख रु. का लाभ; आंशिक अशक्तता के लिए 1.00 लाख रु. (भारत सरकार द्वारा 12 रु. के वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)
- III. प्रधानमंत्री श्रम योगीमान धन (पीएम-एसवाईएम) के तहत 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3000 रु. प्रति माह का पेंशन लाभ (भारत सरकार द्वारा 50% प्रीमियम का अंशदान तथा लाभार्थी द्वारा 50% अंशदान)

तथापि, आशाकर्मियों द्वारा कोविड-19 महामारी संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, राज्यों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता और आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के संसाधनों का उपयोग करके कोविड-19 संबंधित कार्यों में कार्यरत आशाकर्मियों को प्रति माह 1000 / - रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई थी। ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, आशाकर्मी सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा योजना में कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के कारण मृत्यु होने पर 50.00 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

आशा कर्मियों को नियमित एवं आवर्ती गतिविधियों के लिए दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण

क्र.सं.	प्रोत्साहन	प्रोत्साहन (सितंबर, 2018 से)
1	ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस या शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आयोजन करना और उसमें भाग लेना	रु.200/सत्र
2	वीएचएसएनसी/एमएएस की मासिक बैठक की सूचना देना और मार्गदर्शन करना	रु. 150
3	ब्लॉक पीएचसी/यूपीएचसी में मासिक बैठक में भाग लेना	रु. 150
4	क) वर्ष के प्रारंभ में परिवारों की लाइन लिस्टिंग और प्रत्येक 6 माह में अपडेट	रु. 300
	ख) मासिक आधार पर अद्यतन करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखना और जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण सहायता	रु. 300
	ग) प्रतिरक्षित किए जाने वाले बच्चों की मासिक आधार पर अद्यतित उचित सूची तैयार करना	रु. 300
	घ) मासिक आधार पर अद्यतित किए जाने वाले एएनसी लाभार्थियों की सूची तैयार करना	रु. 300
	ड.) मासिक आधार पर अद्यतित पात्र जोड़ों की सूची तैयार करना	रु. 300
	कुल	रु. 2000/-

विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का विवरण		
	क्रियाकलाप	राशि रुपए में/प्रति मामला
I	मातृत्व स्वास्थ्य	
1	जेएसवाई वित्त पैकेज	
क.	महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए	300 रु./ 200 रु. (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र)
ख.	संस्थान में प्रसव कराने के लिए	300 रु./ 200 रु. (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र)
2	महिलाओं की मृत्यु की सूचना	200 रु. (24 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग)
II	बाल स्वास्थ्य	
1	नवजात शिशु और प्रसव पश्चात माता आदि/ किशोर बालक/ फॉलोअप के लिए घर के दौरे	250 रु./ 50 रु. प्रति दौरा/ 150 रु. केवल जब एमयूएसी 125 एमएम के बराबर या इससे अधिक न हो
2	गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा	
क.	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के परिवारों को ओआरएस का प्रोफाइलैक्टिक वितरण के लिए सप्ताह-1-आशाकर्मी प्रोत्साहन	पांच वर्ष से कम आयु के 100 बच्चों के लिए प्रति ओआरएस पैकेट 1 रु.
ख.	गांव में सभी बच्चों के शारीरिक विकास पर निगरानी के लिए सप्ताह-2-आशाकर्मी प्रोत्साहन	कम से कम 80% परिवारों को पूरा करने के लिए प्रति आशाकर्मी 100 रु.
ग.	मां (माता का असीम स्नेह) कार्यक्रम	100रु./आशाकर्मी/तिमाही बैठक
III	प्रतिरक्षण	
1	एक वर्ष से कम/ दो वर्ष की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण	100.00रु./ 75रु.
2	ओपीवी प्रतिरक्षण/ डीपीटी बूस्टर के लिए बच्चों को तैयार करना	100 रु. प्रति दिन/ 50रु.
IV	परिवार नियोजन	
1	प्रथम बच्चे के जन्म के पश्चात दो वर्ष/ तीन वर्ष का अंतर सुनिश्चित करना/ विवाह के बाद दो बच्चों के बाद स्थायी रूप से बच्चों की संख्या सीमित करना	500रु/ 500रु./ 1000रु.
2	ट्यूबेक्टॉमी के लिए महिलाओं को परामर्श देना, प्रोत्साहित करना और इनका फॉलोअप करना	उच्च जन्म दर वाले 11 राज्यों में 200 रु., 146 एमपीवी जिलों में 300 रु./ शेष राज्यों में 150/ 200 रु।
3	वैसेक्टॉमी और एनएसवी तथा प्रसव पश्चात महिला नसबंदी के लिए व्यक्तियों को परामर्श देना प्रोत्साहित करना और इनका फॉलोअप करना	उच्च जन्म दर वाले 11 राज्यों में 300 रु. और 146 एमपीवी जिलों में 400 रु. और शेष राज्यों में 200 रु.

मिशन परिवान विकास- सात राज्यों में चयनित 146 जिलों में (उत्तर प्रदेश में 57, बिहार में 37, राजस्थान में 14, झारखंड में 9, छत्तीसगढ़ में 2 और असम में 2)		
4	इनजेक्शन के जरिए दिया जाने वाला गर्भनिरोधक एमपीए- (अंतरा कार्यक्रम) और एक गैर-हार्मोनल साप्ताहिक सेन्ट्रोमैल गोली (छाया)- आशार्मियों को प्रोत्साहन	प्रति खुराक 100 रु.
5	मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय क्रियाकलाप	150/आशाकर्मी/राऊंड
6	नई पहल- नए विवाहित जोड़ों के लिए एक एफपी किट	100/-आशाकर्मी/नयी पहल किट का वितरण
7	सास बहू सम्मेलन- सम्मेलन के लिए सास-बहू को जागरूक करना	100रू./ प्रति बैठक
8	प्रत्येक एमपीवी अभियान से पहले ईसी सर्वेक्षण का अद्यतन	150/रू. आशा/तिमाही राऊंड
V	किशोर स्वास्थ्य	
1	किशोरियों को सैनेटरी नैपकिन	छ: सैनेटरी नैपकिनों के 1 पैक के लिए 1 रुपया
2	मैनस्ट्रुअल हाइजीन के संबंध में किशोरियों के साथ मासिक बैठक का आयोजन	50/-रू. बैठक
3	पीएलए बैठकों का आयोजन करना- 2 बैठक प्रति माह	100 रु./ आशाकर्मी/ प्रति बैठक
VI	संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम	
1	टीबी रोगियों की श्रेणी I/श्रेणी-II (टीबी के नए मामले/ पूर्व में उपचारित टीबी मामले)	42 संपर्कों (भेंटों) के लिए 1000 रु/ 57 संपर्कों के लिए 1500 रुपए
2	ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों को उपचार और सहायता	उपचार के पूर्ण कॉर्स के लिए 5000रू
3	लाए गए संदिग्ध व्यक्ति का निदान चिकित्सा अधिकारी/प्रयोगशाला द्वारा टीबी रोगी के रूप में होने संबंधी अधिसूचना	100 रु.
VII	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	
1	कुष्ठ रोग के पॉकी- बेसीलरी मामलों/ मल्टी-बेसीलरी मामलों में उपचार- 33 राज्यों (गोवा, चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी को छोड़कर) के लिए	250/रू. निदान के लिए)+ 400रू./ 600रू. (फॉलोअप हेतु)
VIII	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
1	मलेरिया- ब्लड स्लाइड तैयार करना/ आरडीटी का पूर्ण उपचार या पॉजीटिव पीएफ मामलों का रेडिकल उपचार	15 रु/ प्रति स्लाइड/ 75 रु प्रति पॉजीटिव मामला
2	लिम्फैटिक फिलैरियासिस- मामलों की सूची तैयार करना	200 रु.
3	एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी एनसेफलाइटिस	

	निकटतम सीएचसी/डीएच/मेडिकल कॉलेज में एईएस/जेई मामलों को भेजना	प्रति मामला 300 रु.
4	काला अजार उन्मूलन	
	स्प्रे के राऊंडों के दौरान आशा की भागीदारी/ संदिग्ध मामला रैफर करने हेतु	प्रति राऊंड 100 रु./ प्रति अधिसूचित मामला 500 रु.
5	डेंगू और चिकुनगुनिया	
	12 उच्च स्थानिकमारी वाले राज्यों में डेंगू और चिकुनगुनिया के निवारण और नियंत्रण के लिए इसके स्रोत के हास और आईईसी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन	200 रु. (सर्वाधिक संचरण मौसम के दौरान 05 महीनों के लिए प्रतिमाह अधिकतम 200 घरों के लिए 1 रु./ घर)
6	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	
	नमक की जांच के लिए आशाकर्मी का प्रोत्साहन	नमक के 50 नमूनों के परीक्षण के लिए प्रतिमाह 25 रु.
IX	सीपीएचसी और सार्वभौमिक एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत प्रोत्साहन	
1	डाटा रखना और अतिरिक्त सूचना का वैधीकरण और संग्रहण	5 रु./फार्म/परिवार
2	प्रत्येक व्यक्ति के सीबीएसी फार्म भरना	10 रु./ प्रति फार्म/ प्रति व्यक्ति
3	रोगियों का फोलोअप	50 रु./ प्रति मामला/ द्विवार्षिक
4	सीपीएचसी घटक के तहत नए सर्विस पैकेजों की डिलीवरी	1000 रु./आशाकर्मी/ प्रतिमाह
X	पेयजल और स्वच्छता	
1	शौचालय के निर्माण और इनके प्रयोग के लिए तथा व्यक्तिगत नल कनेक्शन लेने के लिए परिवारों को प्रेरित करना	प्रति परिवार 75 रु.

आशाकर्मियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का राज्यवार ब्यौरा

1. आंध्र प्रदेश 10,000 रुपए प्रति माह के कुल प्रोत्साहन को पूरा करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है;
2. अरुणाचल प्रदेश-100% टॉप अप प्रदान करता है;
3. बिहार- प्रति आशा कर्मी 1000 प्रति माह 5 निर्दिष्ट कार्यक्षमता से संबद्ध 06 कार्यकलापों के लिए (वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू)
4. छत्तीसगढ़-एक आशाकर्मी द्वारा वार्षिक आधार पर टॉप अप के रूप में अर्जित प्रोत्साहनों की राशि का 75%;
5. दिल्ली- कार्यरत आशाकर्मी के लिए 3000रुपए (आशाकर्मी द्वारा निष्पादित 12 कार्यकलापों के लिए);
6. गुजरात 50% टॉप अप प्रदान करता है;
7. हरियाणा- जून-2018 से 4000 रुपए प्रति माह और 50% टॉप-अप;
8. हिमाचल प्रदेश- 2000 रुपए प्रति माह;
9. कर्नाटक- 4000 रुपए प्रति माह – हाल ही में टॉप अप प्रोत्साहन के स्थान पर शुरू किया गया;
10. केरल-वित्त वर्ष 2020-21 में 5000 रुपए प्रति माह;
11. ओडिशा- 1अप्रैल, 2018 को शुरू की गई राज्य निधि से 1000 रुपए प्रति माह;
12. राजस्थान- आईसीडीएस के माध्यम से 2700 रुपए प्रति माह;
13. सिक्किम-6000 रुपए प्रति माह;
14. तेलंगाना 6000 रुपए प्रति माह के बराबर कुल प्रोत्साहन राशि पूरी करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है।
15. त्रिपुरा 08 निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए 100% टॉप-अप और अन्य गतिविधियों के आधार पर 33% टॉप-अप प्रदान करता है;
16. उत्तराखंड- 5000 रुपए प्रति वर्ष और 1000 रुपए प्रति माह;
17. उत्तर प्रदेश- प्रति आशा प्रति माह 750 रुपए पांच निर्दिष्ट गतिविधियों की कार्यक्षमता से संबद्ध है (मार्च 2019 से शुरू);
और
18. पश्चिम बंगाल- 3000 रुपए प्रति माह।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2165
TO BE ANSWERED ON THE 22nd MARCH, 2022**

SALARY AND ALLOWANCES OF ASHA WORKERS

2165: SMT. JHARNA DAS BAIDYA:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) whether Government is considering a plan to increase the salary and allowances of ASHA workers;
- (b) if so, the details thereof, if not, whether any concrete step would be taken in this regard by Government in future; and
- (c) the number of instances when the salary and allowances of ASHA workers have been increased during the last five years?

ANSWER

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)**

(a) to (c) ASHAs are envisaged to be community health volunteers and are entitled to task/activity based incentives. ASHAs receive a fixed monthly incentive of Rs. 2000 per month for routine and recurring activities and the details are placed at **Annexure-I**. Additionally, they are provided performance-based incentives for a varied set of activities under various National Health Programmes and is placed at **Annexure-II**. States/UTs in their programme implementation plans have also been given flexibility to provide a range of monetary incentives to the ASHAs and the details is placed at **Annexure-III**.

After the launch of the Ayushman Bharat scheme with operationalisation of Ayushman Bharat- Health and Wellness Centres (AB-HWCs), ASHAs are now additionally eligible for

Team Based Incentives (TBIs) along with ANMs based on monitored performance indicators (up to Rs. 1000 per month).

The Government has also approved a cash award of Rs. 20,000/- and a citation to ASHAs who leave the programme after working as ASHAs for minimum of 10 years, as acknowledgement of their contribution.

The ASHA benefit package was introduced acknowledging significant contribution and commitment of ASHAs. The package providing coverage for:

- i) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY) with a benefit Rs. 2.00 Lakh in case of death of the insured (annual premium of Rs. 330 contributed by GOI).
- ii) Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana (PMSBY) with a benefit of Rs. 2.00 lakh for accidental death or permanent disability; Rs. 1.00 lakh for partial disability (annual premium of Rs. 12 contributed by GOI).
- iii) Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan (PM-SYM) with pension benefit of Rs. 3000 pm after age of 60 years (50% contribution of premium by GOI and 50% by beneficiaries).

However, in view of the significant contribution towards the COVID-19 pandemic related work by ASHAs, States were advised to pay an additional incentive of Rs.1000/- per month for those ASHAs engaged in COVID-19 related work using the resources of COVID-19 Health System Preparedness and Emergency Response Package.

Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package, Insurance Scheme has been introduced for all health workers, including ASHAs. This insurance scheme provides an insurance cover of Rs. 50.00 Lakhs in-case of loss of life on account of COVID-19 related duty.

The details of incentives for routine and recurring activities given to ASHAs

S. No.	Incentives	Incentives (from September, 2018)
1	Mobilizing and attending Village Health and Nutrition Days or Urban Health and Nutrition Days	Rs.200/session
2	Conveying and guiding monthly meeting of VHSNC/MAS	Rs. 150
3	Attending monthly meeting at Block PHC/UPHC	Rs. 150
4	a. Line listing of households done at beginning of the year and updated every six months	Rs. 300
	b. Maintaining village health register and supporting universal registration of births and deaths to be updated on the monthly basis	Rs. 300
	c. Preparation of due list of children to be immunized on monthly basis	Rs. 300
	d. Preparation of list of ANC beneficiaries to be updated on monthly basis	Rs. 300
	e. Preparation of list of eligible couple on monthly basis	Rs. 300
	Total	Rs. 2000/-

Annexure-II

Details of performance-based incentives for a varied set of activities under various National Health Programmes

	Activities	Amount in Rs/case
I	Maternal Health	
1	JSY financial package	
a.	For ensuring antenatal care for the woman	Rs.300/Rs.200 (Rural/Urban areas)
b.	For facilitating institutional delivery	Rs. 300/Rs.200 (Rural/Urban areas)
2	Reporting Death of women	Rs. 200 (reporting within 24 hours)
II	Child Health	
1	Home Visit-care of the New Born and Post-Partum mother etc. / Young Child / follow up	Rs. 250 /Rs. 50 per visit / Rs.150 only after MUAC is equal to nor-more than 125mm
2	Intensified Diarrhoea Control Fortnight	
a.	Week-1-ASHA incentive for prophylactic distribution of ORS to families with under-five children	Rs. 1 per ORS packet for 100 under five children
b.	Week-2- ASHA incentive for facilitating growth monitoring of all children in village	Rs. 100 per ASHA for completing at least 80% of household
c.	MAA (Mother's Absolute Affection) Programme	Rs. 100/ASHA/ Quarterly meeting
III	Immunization	
1	Full immunization for a child under one year/ up-to two years age	Rs. 100 /Rs. 75
2	Mobilizing children for OPV immunization / DPT Booster	Rs. 100 per day / Rs. 50
IV	Family Planning	
1	Ensuring spacing of 2 years/ 3 years after birth of 1st child / permanent limiting method after 2 children after marriage	Rs. 500 / Rs. 500 / Rs. 1000
2	Counselling, motivating and follow up of the cases for Tubectomy	Rs. 200 in 11 with high fertility rates states, Rs.300 in 146 MPV districts, Rs. 150/Rs200 in remaining states
3	Counselling, motivating and follow up of the cases for Vasectomy and NSV and Female Postpartum sterilization	Rs. 300 in 11 states with high fertility rates and Rs. 400 in 146 MPV districts and Rs. 200 in remaining states
Mission ParivarVikas- In selected 146 districts in six states-(57 in UP, 37 in Bihar, 14 RJS, 9 in Jharkhand, 02 in Chhattisgarh and 2 in Assam)		
4	Injectable Contraceptive MPA (Antara Program) and a non-hormonal weekly centchroman pill (Chhaya) - Incentive to ASHA	Rs. 100 per dose
5	Mission ParivarVikas Campaigns Block level activities	Rs. 150/ ASHA/round
6	NayiPahel - an FP kit for newly weds	Rs. 100/ASHA/NayiPahel kit distribution
7	SaasBahuSammelan- mobilize SaasBahu for the	Rs. 100/ per meeting

	Sammelan- maximum four rounds	
8	Updating of EC survey before each MPV campaign	Rs.150/ASHA/Quarterly round
V	Adolescent Health	
1	Sanitary napkins to adolescent girls	Rs. 1/ pack of 6 sanitary napkins
2	Organizing monthly meeting with adolescent girls pertaining to Menstrual Hygiene	Rs. 50/meeting
3	Conducting PLA meetings- 2 meetings per month	Rs. 100/ASHA/per meeting
VI	Revised National Tuberculosis Control Programme	
1	For Category I/ Category II of TB patients (New cases/ previously treated of Tuberculosis)	Rs. 1000 for 42 contacts / Rs. 1500 for 57 contacts
2	For treatment and support to drug resistant TB patients	Rs. 5000 for completed course of treatment
3	For notification if suspect referred is diagnosed to be TB patient by MO/Lab	Rs.100
VII	National Leprosy Eradication Programme	
1	Treatment in pauci-bacillary cases /multi-bacillary cases of Leprosy - for 33 states (except Goa, Chandigarh & Puducherry).	Rs. 250 (for diagnosis) + Rs. 400/Rs.600 (for follow up)
VIII	National Vector Borne Disease Control Programme	
1	Malaria–Preparing Blood Slides/complete treatment for RDT or radical treatment of positive Pf cases	Rs. 15 per slide/ Rs. 75 per positive cases
2	Lymphatic Filariasis-Listing of cases	Rs. 200
3	Acute Encephalitis Syndrome/Japanese Encephalitis	
	Referral of AES/JE cases to the nearest CHC/DH/Medical College	Rs. 300 per case
4	Kala Azar elimination	
	Involvement of ASHAs during the spray rounds (IRS) / for referring a suspected case	Rs. 100/- per round / Rs. 500/per notified case
5	Dengue and Chikungunya	
	Incentive for source reduction & IEC activities for prevention and control of Dengue and Chikungunya in 12 High endemic States.	Rs. 200/- (1 Rupee /House for maximum 200 houses PM for 05 months- during peak season).
6	National Iodine Deficiency Disorders Control Programme	
	ASHA incentive for salt testing	Rs.25/ month (for 50 salt samples)
IX	Incentives under (CPHC) and Universal NCDs Screening	
1	Maintaining data validation and collection of additional information	Rs. 5/form/family
2	Filling up of CBAC forms of every individual	Rs. 10/per form/per individual
3	Follow up of patients	Rs. 50/per case/Bi-Annual
4	Delivery of new service packages under CPHC	Rs.1000/ASHA/PM
X	Drinking water and sanitation	
1	Motivating Households to construct toilet and promote the use of toilets and for individual tap connections	Rs. 75 per household

State-wise details of monetary incentives provided to the ASHAs

1. Andhra Pradesh provides balance amount to match the total incentive of Rs.10,000/month;
2. Arunachal Pradesh-provides 100% top up;
3. Bihar- Rs.1000/- per ASHA per month linked with functionality of five specified 06 activities (started in FY 2019-20);
4. Chhattisgarh-75% of matching amount of the incentives over and above the incentives earned by an ASHA as a top up on an annual basis;
5. Delhi- Rs. 3000/- PM for functional ASHA (against the 12 core activities perform by ASHA);
6. Gujarat provides 50% top up;
7. Haryana- Rs. 4000/month from June-2018 and 50% top-up;
8. Himachal Pradesh- Rs. 2000/month;
9. Karnataka-Rs. 4000/month – recently introduced replacing the top up incentive;
10. Kerala-Rs.5000/month in FY 2020-21;
11. Odisha-Rs. 1000 /month from state fund launched on April 1st, 2018;
12. Rajasthan- Rs. 2700/month through ICDS;
13. Sikkim -Rs. 6000/month;
14. Telangana provides balance amount to match the total incentive of Rs. 6000/- pm;
15. Tripura provides 100% top up against 08 specified activities and 33% top-up based on other activities;
16. Uttarakhand- Rs.5000/year and Rs. 1000/month;
17. Uttar Pradesh- Rs.750/- per ASHA per month linked with functionality of five specified activities (started from March 2019); and
18. West Bengal-Rs. 3000/month.